



कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल, रायपुर

(फार्मसी अधिनियम - 1948 की धारा 19 के तहत गठित)

(छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन सांविधिक निकाय)

मकान नम्बर - 40, आनन्द नगर, रायपुर (छ.ग.) 492006

फोन:-0771-2444591, मो.नं.- 94255 05779, ईमेल:- cspcraipur@gmail.com वेबसाईट:- www.cspc.in

कमॉक/सी.जी./फार्मा/2024/915

रायपुर, दिनांक :- 17/12/2024


::- आम सूचना -::

विषय :- डिप्लोमा इन फार्मसी एग्जिट परीक्षा अक्टूबर, 2024 के लिए परीक्षा शुल्क की वापसी

छत्तीसगढ़ राज्य के डिप्लोमा इन फार्मसी एग्जिट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि, जिन छात्रों ने एग्जिट परीक्षा अक्टूबर, 2024 के लिए आवेदन कर शुल्क जमा किया था, उन सभी के परीक्षा शुल्क को उनके सम्बन्धित भुगतान स्रोत में वापस कर दिये जाने का निर्णय एनबीईएमएस (National Board Of Examinations in Medical Science - आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई-दिल्ली) द्वारा लिया गया है तथा उनके उक्त आवेदनों को शून्य और अमान्य किये जाने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही डिप्लोमा इन फार्मसी एग्जिट परीक्षा के कार्यक्रम की आगामी जानकारी के लिए एनबीईएमएस की वेबसाईट का सतत अवलोकन करने की सलाह दी गई है।

उक्त परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न के लिए एनबीईएमएस की वेबसाईट पर लिखने या सुझाव की सलाह दी जाती है। आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई-दिल्ली द्वारा दिनांक 13/12/2024 को उपरोक्त विषय में सूचना जारी की गई है।

समस्त डिप्लोमा इन फार्मसी छात्रों एवं सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को सूचनार्थ।



(अश्वनी गुर्देकर)


रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल

रायपुर (छ.ग.)

पृ.क./सी.जी./फार्मा/2024/916 दिनांक :- 17/12/2024

प्रतिलिपि:- सम्पादक, समस्त प्रिंट मिडिया, दैनिक अखबार, रायपुर को सूचना प्रकाशन हेतु सादर प्रेषित।



रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल

रायपुर



आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली

दिनांक:13.12.2024

सूचना

विषय: डिप्लोमा इन फार्मैसी एग्जिट परीक्षा अक्टूबर 2024 के लिए परीक्षा शुल्क की वापसी

1. डिप्लोमा इन फार्मैसी एग्जिट परीक्षा (डीआईपी) - अक्टूबर 2024 का आयोजन एनएबीएमएस नोटिस दिनांक 20.09.2024 के माध्यम से स्थगित कर दिया गया है।
2. यह निर्णय लिया गया है कि जिन उम्मीदवारों ने डीपीईई - अक्टूबर 2024 के लिए सफलतापूर्वक अपने आवेदन जमा किए थे, उनके द्वारा जमा किए गए परीक्षा शुल्क को उनके संबंधित भुगतान स्रोत में वापस कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए संबंधित आवेदनों को भी "शून्य और अमान्य" माना जाएगा।
3. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के संशोधित कार्यक्रम के बारे में आगे की जानकारी के लिए समय-समय पर एनबीईएमएस वेबसाइट देखते रहें।
4. किसी भी अन्य प्रश्न के लिए, कृपया NBEMS के संचार वेब पोर्टल पर लिखें:
<https://exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main>



एनबीईएमएस

आयुर्विज्ञान में
राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड